राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

सत्यमेव जयते

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 03, सोमवार, *शाके* 1947- नवम्बर 24, 2025

Agrahayana 03, Monday, Saka 1947- November 24, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II(

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 04, 2019

एस.ओ. 134.- आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आनन्द विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **''अधिनियम''** से आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का केन्द्रीय अधिनियम सं.7) अभिप्रेत है;

(ख) **''आनन्द विवाह''** से सिख विवाह कर्म के अनुसार अनुष्ठापित सामान्यतया आनन्द कारज के रूप में जाना जाने वाला आनन्द विवाह अभिप्रेत है;

(ग) **''जिला रजिस्ट्रार''** से इन नियमों के नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आनन्द विवाहों का जिला रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(घ) **''रजिस्ट्रार''** से इन नियमों के नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आनन्द विवाहों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ङ) **''प्ररूप''** से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) **''पक्षकार''** से आनन्द विवाहों के वर और वधु दोनों अभिप्रेत है; और

(छ) **''राज्य''** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. रजिस्ट्रार.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक रजिस्ट्रार और ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जायें, रजिस्ट्रार के कृत्यों के निर्वहन के लिए, ऐसी संख्या में रजिस्ट्रार, जो वह उचित समझे, जो जिला रजिस्ट्रार के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन होगा, नियुक्त करेगी।

4. अधिकारिता.- अनुष्ठापित आनन्द विवाह, ऐसे रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया या जिसकी अधिकारिता में पक्षकार निवास करते हैं।

5. विवाह के रजिस्टर का अनुरक्षण.- रजिस्ट्रार प्ररूप-I में आनन्द विवाहों के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.- (1) आनन्द विवाह के पक्षकार विवाह के अनुष्ठापन से साठ दिन की कालावधि के भीतर प्ररूप-।। में दो प्रतियों में ज्ञापन तैयार करेंगे और उसे रजिस्ट्रार के समाधान के लिए विवाह के अनुष्ठापन को साबित करने वाले दस्तावेजों और रु.100/-(एक सौ रुपये मात्र) की रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के सबूत के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगेः

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) ज्ञापन विवाह के दोनों पक्षकारों और कम से कम दो अन्य व्यक्तियों, जो विवाह के साक्षी थे, द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) विवाह के पक्षकार जिन्होंने उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपना विवाह रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाया है, विवाहों के रजिस्ट्रार के समाधान के लिए विवाह के अनुष्ठापन को साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ प्ररूप- III में एक घोषणा और रु. 200/-(दो सौ रुपये मात्र) की रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के सबूत साथ प्ररूप-II में रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत कर अपना विवाह रजिस्ट्रीकृत करवायेंगे।

7. विवाह का सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण.-(1) जहां नियम 6 के उप-नियम (1) या उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त ज्ञापन और दस्तावेजों की संविक्षा और सत्यापन पर रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि विवाह अनुष्ठापित किया गया था तो वह विवाह के रजिस्ट्रर में इसकी विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा और प्ररूप-IV में आनन्द विवाह का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि,-

(क) पक्षकारों के बीच विवाह, आनन्द विवाह कर्म के अनुसार सम्पादित नहीं हुआ है; या

(ख) पक्षकारों की पहचान या विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने वाले साक्षियों की पहचान नहीं हो पा रही है; या

(ग) उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से पक्षकारों की वैवाहिक प्रास्थिति उपबंधित नहीं होती है,

वह ऐसी अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज, जो वह पक्षकारों और साक्षियों या उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता की पहचान करने के लिए आवश्यक समझे, ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को बुला सकेगा।

8. रजिस्ट्रीकरण से इंकार.- रजिस्ट्रार, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से विवाह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर सकेगा, यदि विवाह के पक्षकार नियम 7 के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेशों की अनुपालना करने में असफल रहते हैं।

9. आनन्द विवाह के प्रमाणपत्र जारी किया जाना.- रजिस्ट्रार, ज्ञापन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर विवाह के पक्षकारों को निःशुल्क आनन्द विवाह के प्रमाणपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध करवायेगा।

10. रजिस्टर में प्रविष्टियों का शुद्धिकरण.- रजिस्ट्रार, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के तीस दिन के भीतर, आवेदन पर, यदि उसका समाधान हो जाता है कि नाम, आयु या विवाह की तारीख के संबंध में रजिस्टर या प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण में की गयी किसी प्रविष्टि में टंकण संबंधी या लिपिकीय त्रुटी है, उपयुक्त सुधार कर सकेगा और प्रत्येक सुधार पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

11. अपील.- (1) रजिस्ट्रार के निर्णय से व्यथित विवाह का कोई पक्षकार ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर संभाग के संभागीय आयुक्त को अपील फाइल कर सकेगाः

परन्तु ऐसी अपील फाइल करने में विलंब, यदि कोई हो, संभागीय आयुक्त कारण लिखित में अभिलिखित कर कि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का समुचित कारण था, को माफ कर सकेगा।

(2) संभाग का संभागीय आयुक्त, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

प्ररूप-I

आनन्द विवाहों का रजिस्टर

1. विवाह की तारीखः
2. विवाह का स्थानः
(हॉल, ऑडिटोरियम इत्यादि विनिर्दिष्ट कीजिए)

स्थानीय क्षेत्र	ग्राम	उप-खण्ड	जिला

पति का फोटो चिपकाया जाये	पत्नी का फोटो चिपकाया जाये

पति के हस्ताक्षर पत्नी के हस्ताक्षर

3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तारीख पर)

ब्यौरे	**पति**	**पत्नी**
(क) पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु और जन्म की तारीख (पर्याप्त सबूत पेश किये जायेंगे)		
(घ) स्थायी पता		
(ङ) वर्तमान पता		
(च) पूर्व वैवाहिक प्रास्थिति विवाहित/अविवाहित/विधुर/विधवा/विचिछन्न विवाह		
(छ) क्या कोई जीवित पति या पत्नी है (यदि हां, तो जीवित पति या पत्नी की संख्या)		
(ज) पिता या संरक्षक का नाम और नातेदारी (1) आयु (2) पता		
(झ) माता का नाम (1) आयु (2) पता		

*जो लागू हो उस पर (√) का चिहन लगायें

4. विवाह के अनुष्ठापन पर साक्षी

1. (क) नामः

(ख) पताः

2. (क) नामः

(ख) पताः

कार्यालय उपयोग के लिए स्थान

5. ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख..

6. नियम 6 के अधीन अपेक्षित विवाह के दस्तावेज/अभिलेख/सबूत

तारीखः
रजिस्ट्रार

(वर्ष)

तारीख.........................

रजिस्ट्रार

प्ररूप- II

आनन्द विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन

(दो प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

1. विवाह की तारीखः
2. विवाह का स्थानः
(हॉल, ऑडिटोरियम इत्यादि विनिर्दिष्ट कीजिए)

स्थानीय क्षेत्र	ग्राम	तालुक (ब्लॉक)	जिला

3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तारीख पर)

ब्यौरे	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु और जन्म की तारीख (पर्याप्त सबूत पेश किये जायें)		
(घ) स्थायी पता		
(ङ) वर्तमान पता		
(च) पूर्व वैवाहिक प्रास्थिति विवाहित/अविवाहित / विधुर/विधवा/ विच्छिन्न विवाह		

(छ) क्या कोई जीवित पति या पत्नी है? (यदि हां तो जीवित पति या पत्नी की संख्या) तारीख सहित हस्ताक्षर		
(ज) पिता या संरक्षक का नाम और नातेदारी (1) आयु (2) पता तारीख सहित हस्ताक्षर (यदि वह सहमत पक्षकार है)		
(झ) माता का नाम (1) आयु (2) पता तारीख सहित हस्ताक्षर (यदि वह सहमत पक्षकार है)		

*जो भी लागू हो उस पर (√) का चिहन लगाऐं

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

(1) (क) नामः

(ख) पताः

(ग) तारीख सहित हस्ताक्षर

(2) (क) नामः

(ख) पताः

(ग) तारीख सहित हस्ताक्षर

5. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तारीख पर)

पक्षकारों की घोषणा

हम...................इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर दिये गये ब्यौरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

स्थानः तारीखः	1. पति 2. पत्नी

(कार्यालय उपयोग के लिए)

.........................को डाक द्वारा/वैयक्तिक रूप से प्राप्त

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रीकरण के रूप में...................को विवाहों के रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकृत

रजिस्ट्रार

प्ररूप-III

घोषणा

हम, ...(पति और पत्नी का नाम) इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारा विवाह अनुष्ठापन.................(विवाह की तारीख) स्थान....................... (विवाह का स्थान) पर हुआ था विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन.............(कारण विनिर्दिष्ट कीजिए) के कारण नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। हम, हमारे विवाह के रजिस्ट्रीकरण के

प्रयोजन के लिए विवाह के अनुष्ठापन को साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ इसके द्वारा ज्ञापन (प्ररूप-II) प्रस्तुत करते हैं।

स्थानः

तारीखः

पति के हस्ताक्षर   पत्नी के हस्ताक्षर

घोषणा राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगरपालिका/पंचायत सदस्य या नोटेरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित की जायेगी।

मैं...............................इसके द्वारा..................और.................के मध्य..........को अनुष्ठापित हुए विवाह को प्रमाणित करता हूं और तथ्य वैयक्तिक रूप से मेरी जानकारी में हैं।

स्थान सहित हस्ताक्षर, तारीख और मुद्रा

प्ररूप-IV

राजस्थान सरकार

विवाह का प्रमाणीकरण

[राजस्थान आनन्द विवाहों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2019 के नियम 7 के अधीन जारी]

प्रमाणपत्र सं.........................

तारीख................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना .... (स्थानीय क्षेत्र) के रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्ररूप-। में संधारित आनन्द विवाहों के रजिस्टर से ली गई है।

1. विवाह की तारीख.................
2. विवाह का स्थान.................(जैसा प्ररूप-। में है)
3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे

ब्यौरे	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु और जन्म की तारीख		
(घ) व्यवसाय		
(ङ) स्थायी पता		
(च)माता-पिता या संरक्षक का नाम और नातेदारी (1) पिता (2) माता (3) संरक्षक		
फोटो (कार्यालय मुद्रा लगी हुई फोटो)		

रजिस्ट्रीकरण सं. वर्ष के साथ ....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख.............................

रजिस्ट्रार

मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन .... के दिन .... जारी।

[सं.एफ.6(19)गृह-13/2006]
राज्यपाल के आदेश से,
राजीव स्वरूप,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।